

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा0पं0- सरडीमिवाली

वि0ख0- न.न.पु.ट

जनपद- अदोही

ग्राम पंचायत में दिनांक 05/12/2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु0जा0 / जनजाति / पिछडा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन)	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न0
1	श्री राजेश कुमार बिन्द	विन्द	अध्यक्ष	9793367047
2	" अरुण कुमार बिन्द	विन्द	सचिव	6392149915
3	" राजेश राम	विन्द	कोषाध्यक्ष	8896914595
4	श्रीमती शोभा देवी	विन्द	सामान्य सदस्य	8400340120
5	" " शिव कुमार	"	सामान्य सदस्य	
6	" " रानी देवी	"	सामान्य सदस्य	
7	श्री सुनील कुमार बिन्द	"	सामान्य सदस्य	
8	" रंजित कुमार	"	सामान्य सदस्य	
9	श्रीमती शोभा देवी	विन्द	सामान्य सदस्य	
10	" अनील कुमार	"	सामान्य सदस्य	
11	" राजा राम बिन्द	"	सामान्य सदस्य	
12	" श्याम लाल	"	सामान्य सदस्य	8734857997
13	श्री राज कुमार	विन्द	सामान्य सदस्य	3005332122
14	" आशा प्रसाद पांडेय	ब्राह्मण	सामान्य सदस्य	9621338545
15	श्रीमती शोभा देवी बिन्द	विन्द	सामान्य सदस्य	7607146346
				8591372719

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।

- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति का निरीक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि० अगूठों
1	रंजिता कुमारी बिन्द	अध्यक्ष	XXXXXXXXXXXXX
2	अरुण कुमार	सचिव	
3	शीला शर्मा	कोषाध्यक्ष	
4	ईशा देवी	सामान्य सदस्य	शजित सिंह ईशा देवी
5	शिवकुमारी देवी	सामान्य सदस्य	शिवकुमारी
6	रंजीता देवी	सामान्य सदस्य	
7	सन्तलाल बिन्द	सामान्य सदस्य	सन्तलाल
8	रंजीता बिन्द	सामान्य सदस्य	रंजीता बिन्द
9	सीमा देवी	सामान्य सदस्य	सीमा
10	अनील कुमार	सामान्य सदस्य	
11	रघुनाथ बिन्द	सामान्य सदस्य	अनील कुमार
12	श्यामलाल	सामान्य सदस्य	राजेश्वर श्यामलाल
13	राजेश्वर	सामान्य सदस्य	राजेश्वर
14	आत्मा प्रसाद पाठेय	सामान्य सदस्य	राजेश्वर
15	रंजीता देवी	सामान्य सदस्य	रंजीता देवी